न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी–आव्हाद निवृत्ति सोमनाथ (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
23 / 2024	18.01.2024	26.02.2024

उनवान

1. काली पुत्री श्री देबी बलाई आयु वयस्क निवासी दांथल तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)
2. जानू पत्नी श्री बंशी बलाई आयु वयस्क निवासी दांथल तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)
3. डूंगरी पत्नी स्व० श्री देबी बलाई आयु वयस्क निवासी दांथल तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)
4. देऊ पुत्री श्री देबी बलाई आयु वयस्क निवासी दांथल तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)
5. नानू पुत्र श्री घीसा बलाई आयु वयस्क निवासी दोथल तहसील एवं जिला भीलवाडा (राज०)
6. भैरू लाल पुत्र श्री देबी बलाई आयु वयस्क निवासी दांथल तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)
7. भंवर पुत्र श्री लालू बलाई आयु वयस्क निवासी दांथल तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०) मोहनी पुत्री श्री देबी बलाई आयु वयस्क निवासी दांथल तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)
8. रतन पुत्र श्री बंशी बलाई आयु वयस्क निवासी दांथल तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)
9. शंकर लाल पुत्र श्री पन्ना लाल बलाई आयु वयस्क निवासीं– दांथल तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)
10. श्याम लाल पुत्र श्री पन्ना लाल बलाई आयु वयस्क निवासी दांथल
11. सरजू देवी पत्नी श्री लालू बलाई आयु वयस्क निवासी दांथल तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)
12. सीता पुत्री श्री बंशी बलाई आयु वयस्क निवासी दांथल तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)

प्रार्थीगण

बनाम

1. रतन सिंह पुत्र श्री ईश्वर सिंह आयु 65 वर्ष निवासी दांथल तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)
2. नाथू सिंह पुत्र श्री ईश्वर सिंह आयु वयस्क निवासी दांथल तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)
3. उदय लाल पुत्र श्री रामेश्वर लाल तेली आयु वयस्क निवासी दांथल तहसील एवं जिला भीलवाडा (राज०)

Ahad

उपखण्ड अधिकारी

भीलवाड़ा

4. नारायण पुत्र श्री शंकर लाल तेली आयु वयस्क निवासी दांथल तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)
5. मूला पुत्र श्री भीलवाड़ा (राज०) बलाई आयु वयस्क निवासी दांथल तहसील एवं जिला
6. सत्यनारायण पुत्र श्री देवा बलाई आयु वयस्क निवासी दांथल तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)
7. रतन लाल बलाई आयु वयस्क निवासी दांथल तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)
8. जगदीश पुत्र श्री मोहन लाल शर्मा आयु वयस्क निवासी दांथल तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)
9. मांगी लाल पुत्र श्री भागीरथ जाट आयु वयस्क निवासी दांथल तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)
10. नन्द लाल पुत्र श्री रामचन्द्र जाट आयु वयस्क निवासी दांथल तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)
11. लादी. बाई पत्नी बाबू लाल जाट आयु वयस्क निवासी दांथल तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)
12. पेमा पुत्र श्री तेजाः जाट आयु वयस्क निवासी दाथल तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)
13. अम्बा लाल पुत्र श्री तेजा जाट आयु वयस्क निवासी दांथल तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)
14. रामेश्वर पुत्र श्री गोपी लाल शर्मा आयु वयस्क निवासी दांथल तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)
15. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, भीलवाडा (राज०)

—विपक्षीगण

उपस्थितः—अधिवक्ता प्रार्थी मुकेश कुमार भाण्ड
अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 14 उपस्थित नहीं

—: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू—राजस्व अधिनियम :—

—: निर्णय :—

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा दान्थल प0ह0 दान्थल भू—अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र दान्थल तहसील व जिला भीलवाडा की जमाबन्दी संवत 2069—2073 के खाता संख्या 654 की अभिलिखित आराजियात 200, 203, 229/2, 241, 2422/484, 243, 2440/166, 484/1 कुल किता 08 कुल रकबा 0.3920 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है और अप्रार्थीगण जैर—बहस के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नही होने के कारण विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थी खातेदारी आराजियात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित कराना चाहता है। प्रार्थी वर्णित भूमि के खातेदार काश्तकार है।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

काली व अन्य V/s रतन सिंह व अन्य

इस पर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण उपस्थित नहीं।

वकील प्रार्थी ने निवेदन किया है कि प्रार्थी ने अपनी खातेदारी भूमि के सीमाचिन्ह नहीं होने से पत्थरगढ़ी करवाने की प्रार्थना की है। अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 14 उपस्थित नहीं। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। वकील प्रार्थी द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईशतदुआ की गई। हाजिर वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थी अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना चाहते है। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन् किया एंव पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

हमने पत्रावली में प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण आराजियात जैरबहस के खातेदार काश्तकार होकर इन्हे आराजियात जैर बहस की नपती करा सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के क्रम में प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार होने से सीमांकन (पत्थरगढी) कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है।

तहसीलदार भीलवाडा को सीमांकन(पत्थरगढी) कराने का आदेश दिया जाता है कि मौजा दान्थल प0ह0 दान्थल भू-अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र दान्थल तहसील व जिला भीलवाडा की जमाबन्दी संवत 2069-2073 के खाता संख्या 654 की अभिलिखित आराजियात 200, 203, 229/2, 241, 2422/484, 243, 2440/166, 484/1 कुल किता 08 कुल रकबा 0.3920 हैक्टेयर भूमि की पत्थरगढ़ी कार्य संपादन से पूर्व फरिकेन मुकदमा को सूचित किया जावे। पत्थरगढ़ी का आशय पक्षकारों की उपस्थिति में निशानात कायम करने भर से है। इस आदेश में किसी पक्ष की बेदखली व कब्जा देने की कार्यवाही नहीं की जाए तथा किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खडी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन(पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार भीलवाडा को 1000-00 अक्षरे एक हजार रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे, तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थीगण से मौके पर प्राप्त करे। तहसीलदार भीलवाडा को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावे। निर्णय आज दिनांक 26.02.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Ahad

(आल्हाद निवृत्ति सोमनाथ)

उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी

भीलवाड़ा